

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक

पीठासीन अधिकारी :-सुरेश कुमार हरसोलिया,(RAS)

राजस्व वाद संख्या :-70/2024

प्रविष्टि दिनांक:-26.06.2024

वादी :-

1. राधाकिशन पुत्र मोहरीलाल जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पांचूराम पुत्र सुखाराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई, जिला टोंक
- 1/1 मांगीलाल पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/2 ताराचन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/3 हरचन्द्र पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/4 त्रिलोकचन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/5 लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/6 लल्लूलाल (लालचन्द) पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
- 1/7 हंसा पुत्री पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. रमेश चन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
4. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

उपस्थित :- श्री रमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से।

### निर्णय

दावा :-उदघोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 28/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 4716 रकबा 1.3152 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को दिनांक 20.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार निवाई से कुर्रैजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना में तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 2400 दिनांक 12.2.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 4716 रकबा 1.3152 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-कस्बा निवाई, पटवार मण्डल-कस्बा निवाई तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2070-2073,		खसरा नं0-4716 (रकबा हैक्टयर में)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	राधाकिशन पुत्र मोहरीलाल कोम रैगर सा0देह	4716/1	0-4387
	योग	किता-1	0.4387
2	1. मृतक पांचूराम पुत्र सुखाराम के वारिसान हि0 1/2 एवं त्रिलोकचन्द, ताराचन्द, रमेश चन्द, लल्लूराम पिता पांचूराम हि0 1/2 कोम रैगर	4716/2	0.8765
	योग	किता-1	0.8765

आज दिनांक .....को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)  
उपखण्ड अधिकारी (न्याय)  
निवाई

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार हरसोलिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :-70/2024

प्रविष्टि दिनांक:-26.06.2024

वादी :-

राधाकिशन पुत्र मोहरीलाल जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

### बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पांचूराम पुत्र सुखाराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई, जिला टोंक
  - 1/1 मांगीलाल पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/2 ताराचन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/3 हरचन्दा पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/4 त्रिलोकचन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/5 लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/6 लल्लूलाल (लालचन्द) पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
  - 1/7 हंसा पुत्री पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. रमेश चन्द पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
4. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

दावा :- उदघोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री रमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से।

### अंतिम पर्चा डिकी

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है हाल खसरा नंबर 4716 रकबा 1.3152 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-कस्बा निवाई, पटवार मण्डल-कस्बा निवाई तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2070-2073,		खसरा नं0-4716 (रकबा हैक्टेयर मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	राधाकिशन पुत्र मोहरीलाल कोम रैगर सा0देह	4716/1	0.4387
	योग	किता-1	0.4387
2	मृतक पांचूराम पुत्र सुखाराम के वारिसान हि0 1/2 एवं त्रिलोकचन्द, ताराचन्द, रमेश चन्द, लल्लूराम पिता पांचूराम हि0 1/2 कोम रैगर	4716/2	0.8765
	योग	किता-1	0.8765

आज दिनांक 28/3/25 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निवाई